न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 124/2017

1.गंगा सहाय पुत्र लोहड्या
2.राम प्रताप पुत्र लोहड्या जाति मीना निवासी कुशालाकाबास कालाखो तहसील व जिला दौसा ...अपी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा ...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 11.10.2017
व न्यायालय नायब तहसीलदार, दौसा

उपस्थित : 1.श्री विनोद विजय, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 23.05.18**

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, दौसा ने दिनाक 11.10.2017 को ग्राम कालाखो के आ0ख0न0 2662 रकबा 0.06 है0, 2671 रकबा 0.15 है0, 2676 रकबा 0.05 है0 एवं 2776 रकबा 0.02 किस्म जमीन सिवायचक एवं गै0मु0 रास्ता पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली व पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूँठी रिपोर्ट की है। अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जॉच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। अपीलांट दिनांक 11.10.17 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब के लिए 7 दिन की तारीख पेशी नियत करने का निवेदन किया किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट गंगासहाय के ऑर्डरशीट पर दस्तखत करवा लिये और पीछे से बिना रिकॉर्ड देखे बिना व जवाब लिए बिना निर्णय पारित कर दिया गया। यदि किसी सिवायचक में कोई बोरिंग बना हुआ है, तो बोरिंग को नियमित करने का प्रावधान है और बोरिंग से बेदखल किया जाना संभव भी नहीं है। किंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने यदि अपीलांट के बोरिंग को अतिक्रमण माना है, तो उसे नियमित करने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए थी जो नहीं करके कानूनी गलती की है। कानूनन अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया का पालना नहीं करते हुए इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की प्रस्तुत की गई कि गैर सायल गंगा सहाय व रामप्रताप पुत्र लोहड्या न संवत 2074 खरीफ में सिवायचक ख0नं0 2662 रकबा 0.06 है0 पर बाजरे की फसल, 2671 रकबा 0.15 है0 पर बाजरा व 0.01 है0 पर बोरिंग व डहरे डालकर, 2676 रकबा 0.05 है0, 2776 रकबा 0.02 है0 (गै0मु0 रास्ता) पर बाजरे की फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी

द्वारा धारा 91 की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। दावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से बाजरे की फसल बोकर, बोरिंग व ढहरे डालकर अतिक्रमण करना व गै0मु0 रास्ता पर अतिक्रमण करना स्पष्ट रुप से अंकित कर अतिकमण करना बताया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी0 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं दिनांक 11.10.2017 को उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में " संवत 2074 खरीफ में सिवायचक ख0नं0 2662 रकबा 0.06 है0 पर बाजरे की फसल, 2671 रकबा 0.15 है0 पर बाजरा व 0.01 है0 पर बोरिंग व डहरे डालकर, 2676 रकबा 0.05 है0, 2776 रकबा 0.02 है0 (गै0मु0 रास्ता) पर बाजरे की फसल बोकर अतिक्रमण करना बताया गया है।" साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में नवीन अतिक्रमण होना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि, गै0मु0 रास्ता पर बिना किसी टाइटल के अतिक्रमण किया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट में कोई संदेह नही हैं। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अवैद्य रुप से बोरिंग खुदाई की जाकर उसका उपयोग किया जा रहा है, जो गंभीर बात है। इस प्रकार की अनाधिकृत कार्यवाही से गॉव में अंसतोष की स्थिति पैदा हो सकती है और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होने से इंकार नहीं किया जा सकता। अपीलांट द्वारा नियमों के परिपेक्ष में बोरिंग नियमन चाहते है, किंतु एक तरफ तो उन्होनें राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और बिना किसी अधिकार के बोरिंग खुदवाई की जाकर पानी का उपयोग किया जा रहा है। अपीलांट स्वयं सिवायचक भूमि पर कब्जा कहकर अपनी अपील में आये है। चूँकि अपीलांट द्वारा जो कार्यवाही की गई है, वह एक अतिक्रमी की हैसियत से की गई है। इसलिए उनके द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतिक्रमी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना नितांत उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 23 मई, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, दौसा